

राजस्थान संकार
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यालयक
तहसील हिण्डोली, ज़िला बून्दी

क्रमांक : प.सुगम / जा.पं. / 2011 / 8615

दिनांक 02/08/2011

जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमती	लीलाराम राठी
पुत्र/पुत्री	मोतीलाल राठी
निवासी	अलोद
ज़िला/डिविजन	बून्दी

राज्य/संघ राज्य—राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्रार्थीनी जाति/समुदाय

का है जिसे निम्नांकित अनुसार

जो अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति

की सूची संख्या में क्रम सं.

मेघवाल

के रूप मान्यता दी गयी है।

46 पर दर्ज है:-



संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956

बम्बई पुर्नगढ़न अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगढ़न अधिनियम 1966,

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपश्चिम क्षेत्र (पुर्नगढ़न) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा—
—अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान—

—(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962

संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967

संविधान (गोवा, दमन तथा दोब) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (गोवा, दमन तथा दोब) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

लीलाराम राठी

श्री/सुश्री/श्रीमती
जाति
ज़िला/डिविजन



लीलाराम राठी
मेघवाल
बून्दी

पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

मोतीलाल राठी
अलोद

स्थान : हिण्डोली
दिनांक : 02/08/2011

हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर

यहाँ प्रयुक्त हुये 'साधारण तौर से निवास' शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धरा 20 में है।
जल बून्दी (२०५०)